भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1869

04 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बाज़ार में खाद्य उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी भ्रामक दावे

1869 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण तथा सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाज़ार में ऐसे उत्पादों की भरमार है जो 'प्राकृतिक' (नैचुरल), 'स्वास्थ्यवर्धक' (हेल्दी), 'हृदय-हितैषी' (हार्ट-फ्रेंडली), 'शर्करा रहित' (नो एडेड शुगर), 'ऑर्गेनिक', 'शून्य मैदा' (ज़ीरो मैदा) आदि होने के भ्रामक वादे करते हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ऐसे मिथ्या दावों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, उपभोक्ताओं को विपणन संदेशों से परे देखने के लिए शिक्षित/जागरूक करने में किस प्रकार सहायता करते हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक अवधारित करने तथा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं आयात का विनियमन करने का अधिदेश है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र तथा राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।

एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 के अनुसार, किसी भी पूर्व-पैकैज बंद खाद्य के किसी लेबल पर अथवा लेबलिंग में किसी ऐसी रीति से उल्लिखित अथवा

प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जो असत्य, भ्रामक अथवा कपटपूर्ण हो अथवा जिससे उसके लक्ष्ण के संबंध में किसी प्रकार का गलत प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना हो।

खाद्य पैकेजों पर किए जाने वाले विज्ञापनों एवं दावों के विनियमन हेतु एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 भी अधिसूचित किए हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं: -

- विज्ञापन एवं दावे स्वस्थ जीवनशैली के महत्व को कमतर नहीं आंकेंगे तथा उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले खाद्य उत्पादों के विज्ञापन नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, उक्त विनियमों में अन्य संबंधित प्रावधान भी निर्धारित किए गए हैं।
- खाद्य अथवा पेय पदार्थों का विज्ञापन आहार के विकल्प के रूप में बढ़ावा अथवा चित्रित नहीं किया जाएगा, जब तक कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बनाए गए अन्य विनियमों में विशेष रूप से इसकी अनुमति न दी गई हो।
- खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 की अनुसूची-V के अनुसार खाद्य लेबलों पर " (प्राकृतिक)", "(ताज़ा)", " (पारंपरिक)" तथा " (मौलिक)" जैसे दावों के उपयोग के लिए विशिष्ट शर्तें आधारित की गई हैं। ऐसे दावों का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब उक्त विनियमों में निर्धारित शर्तें पूरी की गई हों।
- किसी भी आहार को "स्वास्थ्यवर्धक " के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा और न ही उसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा जिससे यह संकेत मिले कि वह खाद्य स्वयं ही स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा।
- किसी भी खाद्य के संबंध में रोग, विकार अथवा किसी विशेष शारीरिक स्थिति की रोकथाम, कमी, उपचार या इलाज के लिए उसकी उपयुक्तता संबंधी कोई दावा नहीं किया जाएगा, जब तक कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बनाए गए अन्य विनियमों में इसकी विशेष अनुमति न दी गई हो।
- विक्रय हेतु उपलब्ध किसी खाद्य पैकेज के लेबल पर "चिकित्सक, पोषण विशेषज्ञ अथवा स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसित" अथवा ऐसे किसी भी शब्द का उल्लेख नहीं किया जाएगा जिससे यह संकेत मिले कि उक्त खाद्य चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित, निर्धारित या अनुमोदित है अथवा चिकित्सीय प्रयोजन के लिए स्वीकृत है।

किसी खाद्य को "जैव" के रूप में तभी लेबल किया जा सकता है, जब वह खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम, 2017 के अंतर्गत निर्धारित सभी आवश्यकताओं, जिनमें लागू प्रमाणन एवं लेबलिंग संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं, का अनुपालन करता हो।

वित्त वर्ष 2026–27 के दौरान, एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले भ्रामक दावों एवं

विज्ञापनों के संबंध में खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को 87 नोटिस जारी किए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी अननुरूप खाद्य उत्पादों (लेबलिंग संबंधी त्रुटियों/मिथ्याछाप/भ्रामक दावों सहित) के विरुद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण निम्नवत है-

पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी अननुरूप खाद्य उत्पादों (लेबलिंग संबंधी त्रुटियों/मिथ्याछाप /भ्रामक दावों सहित) के विरुद्ध की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण				
वर्ष	**विश्लेषित नमूनों की संख्या**	**अननुरूप पाए गए नमूनों की संख्या**	**दीवानी मामलों में शास्ति सहित अधिनिर्णित मामले**	**आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि की संख्या**
2025-26*	2,23,808	40,023	31,878	1,918
2024-25	1,70,535	34,388	30,142	1,265
2023-24	1,70,513	33,808	29,586	1,161

*वित्त वर्ष 2025–26 के आंकड़े अनंतिम हैं तथा संशोधन के अधीन है।

एफएसएसएआई द्वारा निम्नलिखित जन-जागरूकता अभियान संचालित किए जाते हैं:-

- **"#हर लेबल कुछ कहता है"** अभियान के माध्यम से नागरिकों को खाद्य लेबल संबंधी जानकारी प्रदान कर उन्हें स्वस्थ आहार अपनाने तथा सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी जानकारी (कैलोरी, वसा, शर्करा एवं प्रोटीन), अवयवों की सूची, एलर्जेन संबंधी चेतावनी तथा तिथि संबंधी अंकन जैसे प्रमुख तत्वों के बारे में जागरूक किया जाता है।
- स्वस्थ भोजन की आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एफएसएसएआई "ईट राइट इंडिया" पहल का संचालन करता है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को उनकी व्यक्तिगत पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप स्वस्थवर्धक भोजन ग्रहण करने के लिए जागरूक किया जाता है तथा खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) द्वारा उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
- "आज से थोड़ा कम" अभियान के माध्यम से उपभोक्ताओं को आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन कर वसा, नमक एवं शर्करा के सेवन को धीरे-धीरे कम करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
- मोटापे एवं स्वस्थ जीवनशैली के विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को रोचक एवं सहभागितापूर्ण तरीके से जागरूक करने के उद्देश्य से माईगॉव के सहयोग से "ईट राइट क्विज़ ऑन ओबेसिटी " का शुभारंभ अप्रैल, 2025 में किया गया।

*****